न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प – अटल सेवा केन्द्र अनोपपुरा
पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल भारद्वाज, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 16/2016
दायरा तिथि 04.03.2016
फैसला तिथि 06.06.2016

वादीगणः– **बनामः** **प्रतिवादीगणः–**

स्व.समीया पुत्र भुराजी जाति सरगरा
निवासी भाचुन्दा के वारिसान–
1–मांगीलाल पुत्र समीया उर्फ समाराम
2–मोहनलाल पुत्र समीया उर्फ समाराम
3–रताराम पुत्र पुत्र समीया उर्फ समाराम
4–भीकाराम पुत्र पुत्र समीया उर्फ समाराम
5–श्रीमती कन्या पुत्री समीया उर्फ समाराम
6–श्रीमती कमला पुत्री समीया उर्फ समाराम
7–श्रीमती मीरा पत्नी समीया उर्फ समाराम
जातिगण सरगरा निवासीगण भाचुन्दा
तहसील सुमेरपुर

1–हेमाराम पुत्र पेमीया उर्फ पेमाराम
2–समाराम पुत्र पेमीया उर्फ पेमाराम
3–हंजादेवी पुत्री पुत्र पेमीया उर्फ पेमाराम
जातिगण सरगरा निवासीगण भाचुन्दा
4–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फै स ला :–

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

(1) कि यह वाद पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र अनोपपुरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्तागण उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया जिसे बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक चाणोद ने वादगस्त भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, पक्षकारान की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा बडगांवडा पटवार सर्कल लापोद तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं 254 रकबा 0.83 हेक्टर किस्म सेवज दोयम के बारे में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है, साथ ही दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2069–72, खतौनी संवत् 2037–56, मिलान क्षेत्रफल, खसरा पत्रांक, खसरा गिरदावरी संवत् 2005–2010, 2033–35, भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल, ढालबांछ संवत् 2042–45, भू–प्रबंध विभाग का आज्ञा पत्र मु.सं. 31/03, पर्चा लगान व मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत उभयपक्षकारान ने कथित राजीनामा में जाहिर किया है कि हम समस्त वादी–प्रतिवादीगण यह स्वीकार करते है कि "यह भूमि हमारे सह–पूर्वजों के हक–हिस्से की भमि थी तथा उक्त भूमि मौजा बडगांवडा खसरा नं. 254 रकबा 0.83 हेक्टर में दोनों पक्षकारान अर्थात

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण के हक–हिस्से में 1/2 – 1/2 हिस्से में नाम दर्ज करवाने को सहमत है", इस संदर्भित भू–अभिलेख निरीक्षक चाणोद द्वारा प्रस्तुत कथित जांच रिपोर्ट से भी पुष्ठि होती है, इसके अलावा वादीपक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों के अवलोकन व परीक्षण आधारित वादपत्र में अभिव्यक्त कथनों की बखुबी पुष्ठि होती है।

(3) कि उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधारित एवं लोक अदालत की भावना के अनुरूप सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत् मामले में विवादित कृषि भूमि के बारे में पक्षकारों के मध्य हुए माफिक राजीनामे की इबारत अनुसार यह वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र पक्षकारों के माफिक राजीनामा की इबारत अनुरूप स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बडगांवडा पटवार सर्कल लापोद तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं 254 रकबा 0.83 हेक्टर किस्म सेवज दोयम के बारे में वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर माफिक फैसला राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे, साथ ही पक्षकारान एक–दुसरे के हक–हिस्से की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। माफिक फैसला डिक्री–पर्चा जारी हो।

यह फैसला बरोज आज दिनांक 06.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प– अटल सेवा केन्द्र अनोपपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner